

कार्यालय - अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0(संशोधन)/17, दिनांक फरवरी 20, 2017,

-:: आदेश ::-

श्री आलोक त्रिवेदी, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ- बरेली के प्रार्थना-पत्र सं0 121 दिनांक 08-02-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त आदेश सं0 160 दिनांक 30 जनवरी 2017 द्वारा गठित युगल पीठ मुरादाबाद के कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दिनांक 27-03-2017 से 29-03-2017 के स्थान पर दिनांक 29-03-2017 से 31-3-2017 तक नियत किया जाता है। युगलपीठ गठन की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0 20.02.2017

(उमेश चन्द्र त्रिपाठी)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0ग0(संशोधन)/327 /2017, तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, बरेली पीठ बरेली।
- 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, मुरादाबाद पीठ मुरादाबाद।
- 3- राज्य प्रतिनिधि (युगलपीठ) पीठ- मुरादाबाद।
- 4- अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसिएशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर से अवगत करायें।
5. वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 6- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र0 निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।